



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29072022-237682
CG-DL-E-29072022-237682

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3303]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 28, 2022/श्रावण 6, 1944

No. 3303]

NEW DELHI, THURSDAY, JULY 28, 2022/SHRAVANA 6, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 जुलाई, 2022

का.आ. 3468(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अभ्यास में ए केन्द्र सरकार यहां अनुसूची में वर्णित अनुसूची के कॉलम (२) में उल्लेखित अधिकारियों को प्राधिकृत अधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है। उक्त अधिनियम के तहत ऐसे अधिकारियों के कार्यों को अधिकारिक राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से प्रभावी करने के लिए, राज्य के संबंधित अनुसूची के कॉलम (३) में संगत प्रविष्टि में निर्दिष्ट भूमि के खिंचाव के संबंध में, जिला, तालुक और गाँवों में उल्लेखित कॉलम (४),(५),(६) और (७) क्रमशः जारी किए गए कंस्ट्रक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ न्यूली डिक्लेयर्ड एनएच-७०१ रफीआबाद-कुपवाड़ा-चौकीबल-तंगधार-चमकोट रोड फ्रॉम डिजाइन चैनेज कि.मी. 0+000 टू कि.मी. 121+420 फॉर एनएचडीएल स्पेसिफिकेशन विद पेव्ड शोल्डर इन १०९ आरसीसी अंडर ३२ बीआरटीएफ प्रोजेक्ट बीकन इन द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर।

अनुसूची

जम्मू और कश्मीर राज्य में नवीन घोषित राष्ट्रीय राजमार्ग एनएच-७०१ के कि.मी. 0+000 से कि.मी. 121+420 तक के रफीआबाद-कुपवाड़ा-चौकीबल-तंगधार-चमकोट रोड के लिए भूमि अर्जन हेतु प्रभावित ग्रामों की सूची।

क्रमिक संख्या	सक्षम प्राधिकारी	भूमि का विवरण	राज्य	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम	
1	2	3	4	5	6	7	
1	डिप्टी कमिश्नर	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH701 के कि.मी. 13 से 121.42 तक	जम्मू और कश्मीर	कुपवाड़ा	कुपवाडा	1	बोहिपोरा
						2	गुण्डगुशी
						3	गुशी
					क्रालपोरा	1	रेशीगुंड

[फा. सं. 1/3a]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th July, 2022

S.O. 3468(E).—In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land specified in the corresponding entry in column (3) of the said Schedule relating to state, districts, taluk and villages mentioned in column (4), (5), (6) and (7) respectively of the said Schedule for Construction and Improvement of Newly declared NH-701, Rafiabad-Kupwara-Chowkibal-Tangdhar-Chamkot Road from design chainage Km. 0.000 to Km. 121+420 for NHDL Specification with paved shoulder in 109 RCC under 32 BRTF Project BEACON in the UT of Jammu & Kashmir.

SCHEDULE

Land acquisition on Newly declared National Highway NH-701, Rafiabad-Kupwara-Chowkibal-Tangdhar-Chamkot Road from Km. 0+000 to Km. 121+420 in the UT of Jammu & Kashmir.

Sl. No.	CALA	Stretch	State	District	Taluk/Mandal	Name of the Village
1	2	3	4	5	6	7
1	Deputy Commissioner	13Km. To 121.42Km.	JAMMU & KASHMIR	KUPWARA	Kupwara	1Bohipora
						2Gundgushi
						3Gushi
					KRALPORA	1Reshigund

[F. No. 1/3a]

RAJESH GUPTA, Director